श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/2013 से 12/2014

भाग–एक

1. प्रारम्भिक :–

हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या (A)3–3/85–पार्ट–II, दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया है।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0 सं0	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री वचित्र सिंह	1.1.2013 से 28.3.2013
2.	श्री सुरजन सिंह	4.4.2013 से 9.3.2014
3.	श्री पवन बड़ीयाल	10.3.2014 से 13.8.2014
4.	श्री गिरजेश चौहान	14.8.2014 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि
1.	8	दुकानों के किराये की बकाया राशि बारे	140580
2.	10	नौकायान ठेका के बकाया किराये बारे	179580
3.	15	उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे	100000
4.	23	सहायक मन्दिर अधिकारी को अनुचित रूप से प्रोत्साहन राशि भुगतान करने बारे	1500 मासिक

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों के बारे में :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं

की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को यथासमय अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा हो सके।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर चामुण्डा के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 28.1.2016 से 15.3.2016 तक के दौरान मन्दिर परिसर में किया गया। आय कि विस्तृत जांच के लिए माह 10/2013, 7/2014 तथा व्यय कि विस्तृत जांच के लिए माह 8/2013 व 10/2014 को चयनित किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन व वित्तीय स्थिति को मन्दिर अधिकारी/प्रभारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं अभिलेख प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 वर्तमान के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹31000 आंका गया। मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 40, दिनांक 15.1.2016 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर चामुण्डा की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही :–

विवरण	वर्ष 2013	वर्ष 2014
प्रारम्भिक शेष	52652339.26	58319546.72
प्राप्तियां	31039401.46	35626208.89

अनुदान / ऋण	1400000.00	—
अन्य प्राप्तियां	396998.00	406117.00
ब्याज	4448026.00	5541946.00
कुल योग	89936764.72	99893818.61
व्यय	31617218.00	27812075.00
अन्त शेष	58319546.72	72081743.61

बैंक के अनुसार अन्तशेष का विवरण :—

दिनांक 31.12.2014 को निम्न विवरणानुसार बैंक में जमा राशि	2025418.61
दिनांक 31.12.2014 को सावधि जमा में निवेशित राशि (परिशिष्ट—ख)	70076451.00
कुल योग	**₹72101869.61**

दिनांक 31.12.2014 को बैंक जमा का विवरण :—

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353807064	1441750.00
2.	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353808591	117624.62
3.	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया धर्मशाला	10551097090	107888.27
4.	के0सी0सी0 बैंक चामुण्डा	20105004951	244289.77
5.	प्ंजाब नैशनल बैंक डाढ़	9832001000014	15439.75
6.	एच0डी0एफ0सी0 बैंक धर्मशाला	6051450000049	98426.20
		कुल योग	**₹2025418.61**

दिनांक 31.12.2014 को बैंक में जमा राशि :—	₹72101869.61
दिनांक 31.12.2014 को रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष :—	₹72081743.61
अन्तर	**₹20126.00**

अन्तर के कारण :—

क्र0 सं0	चैक संख्या	दिनांक	जिसे जारी किए गए	राशि
1.	007402	24.11.2014	श्री कुलदीप कुमार	3330.00
2.	007408	27.12.2014	जागरण प्रकाशन	6896.00
3.	007409	27.12.2014	दिव्य हिमाचल	9900.00
			कुल योग	**₹20126.00**

5. निवेश :–

दिनांक 31.12.2014 तक मन्दिर न्यास द्वारा ₹70076451 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

6. सोना :–

मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास की सोने की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

7. चांदी :–

(क) मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त गत वर्षों की वित्तीय स्थिति की तरह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी 142 किलोग्राम, 501 ग्राम तथा 842 मिलीग्राम चांदी की मात्रा का अन्तर दर्शाया गया है तथा यह भी वर्णित किया गया है कि उक्त अन्तर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 के पैरा संख्या **"क"** तथा **"ख"** में दिए गए विवरणानुसार कम दर्शाई गई चांदी की मात्रा से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकरण में भी न्यास अपने स्तर पर विस्तृत जांच/छानबीन करके अन्तर के कारणों के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. दुकानों के किराये के रूप में बकाया ₹140580 की वसूली हेतु कार्यवाई न करना :–

जांच में पाया गया कि "शौपिंग मॉल" में नवनिर्मित दुकानों को दिनांक 16.9.2014 को मन्दिर न्यास द्वारा निम्न दुकानदारों को निम्न दर से मासिक किराये के आधार पर आवंटित की गई, परन्तु अंकेक्षण के दौरान तक मन्दिर न्यास द्वारा दुकानदारों से किराया नहीं वसूला गया, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। दिनांक 31.12.2014 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये के रूप में ₹140580 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	दुकानदार का नाम व दुकान नं0	मासिक किराया	अवधि	वसूली योग्य राशि
1.	श्री अमित कुमार दुकान नं0 1	680	3 महीने 15 दिन	2340
2.	श्री रमेश चन्द दुकान नं0 2	680	–यथोपरि–	2340
3.	श्री सुरेश कुमार दुकान नं0 3	680	–यथोपरि–	2340

4.	श्री ओम प्रकाश दुकान नं0 4	680	–यथोपरि–	2340
5.	श्री सतीश कुमार दुकान नं0 5	680	–यथोपरि–	2340
6.	श्री हंस राज दुकान नं0 6	680	–यथोपरि–	2340
7.	श्रीमति शारदा देवी दुकान नं0 7	680	–यथोपरि–	2340
8.	श्री सन्जू धीमान दुकान नं0 8	680	–यथोपरि–	2340
9.	श्री पप्पू कुमार दुकान नं0 9	680	–यथोपरि–	2340
10.	श्री देश राज दुकान नं0 10	680	–यथोपरि–	2340
11.	श्री महेश कुमार दुकान नं0 11	1580	–यथोपरि–	5530
12.	श्री अशोक कुमार दुकान नं0 12	1580	–यथोपरि–	5530
13.	श्री अनूप कुमार दुकान नं0 13	1580	–यथोपरि–	5530
14.	श्रीमति संजोगता देवी दुकान नं0 14	1580	–यथोपरि–	5530
15.	श्रीमति अरूणा देवी दुकान नं0 15	1580	–यथोपरि–	5530
16.	श्री पुनीत कुमार दुकान नं0 16	1580	–यथोपरि–	5530
17.	श्री राज कुमार दुकान नं0 17	1580	–यथोपरि–	5530
18.	श्री राजेश कुमार दुकान नं0 18	1140	–यथोपरि–	3990
19.	श्री वीरेन्द्र कटोच दुकान नं0 19	1140	–यथोपरि–	3990
20.	श्री लेख राज दुकान नं0 20	820	–यथोपरि–	2870
21.	श्रीमति शारदा देवी दुकान नं0 21	1300	–यथोपरि–	4550
22.	श्री रजनी कान्त दुकान नं0 22	1250	–यथोपरि–	4375
23.	श्री राकेश कुमार दुकान नं0 23	1250	–यथोपरि–	4375
24.	श्री राम चन्द दुकान नं0 24	1000	–यथोपरि–	3500
25.	श्री पूर्ण चन्द दुकान नं0 25	1000	–यथोपरि–	3500
26.	श्री सुभाष चन्द दुकान नं0 26	1000	–यथोपरि–	3500
27.	श्री राजेश कुमार दुकान नं0 27	1000	–यथोपरि–	3500
28.	श्री कमल नैन दुकान नं0 28	1000	–यथोपरि–	3500
29.	श्रीमति रमा कुमारी दुकान नं0 29	1000	–यथोपरि–	3500
30.	श्री मेहर चन्द दुकान नं0 30	770	–यथोपरि–	2695
31.	श्री राजेन्द्र कुमार दुकान नं0 31	770	–यथोपरि–	2695
32.	श्रीमति सुभद्रा देवी दुकान नं0 32	770	–यथोपरि–	2695
33.	श्री रवि भूषण दुकान नं0 33	770	–यथोपरि–	2695

34.	श्री सुभाष मैहता दुकान नं0 34	770	—यथोपरि—	2695
35.	श्री चुनी लाल दुकान नं0 35	770	—यथोपरि—	2695
36.	श्रीमति पुष्पा देवी, श्री मदन लाल, श्री संजीव कुमार बारीदार दुकान नं0 36	980	—यथोपरि—	3430
37.	श्री राजेश कुमार दुकान नं0 37	980	—यथोपरि—	3430
38.	श्रीमति कामना देवी दुकान नं0 38	980	—यथोपरि—	3430
39.	श्री कुलदीप गुलेरिया दुकान नं0 39	980	—यथोपरि—	3430
40.	श्रीमति पुन्या देवी, श्री पवन कुमार, श्री पंकज कुमार व समस्त बारीदार दुकान नं0 41	980	—यथोपरि—	3430
			कुल जोड़	**₹140580**

दुकानों के आवंटन के केवल तीन माह बाद तक इतनी अधिक राशि का वसूली योग्य शेष रहना स्वतः ही आपत्तिजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन इस बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र प्रयास करें तथा समय पर किराये की वसूली न होने की स्थिति में ब्याज सहित किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

9. निर्धन लड़कियों की शादी के लिए दी गई आर्थिक सहायता के अतिरिक्त 108 थालियां व 108 गिलास का अनियमित रूप से अधिक जारी करने बारे :—

उपायुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के कार्यालय पत्र संख्याः ए0डी0एम0—1/2011—मन्दिर, दिनांक 27.1.2011 द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए दी गई आर्थिक सहायता के अतिरिक्त 6 थालियां व 6 गिलास प्रत्येक शादी में भेंट स्वरूप मन्दिर निधि से दिए जाने अपेक्षित थे, परन्तु अंकेक्षण द्वारा जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2013 व 2014 में 12 थालियां व 12 गिलास को प्रत्येक शादी को अनियमित रूप से जारी किए गए, जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार 108 थालियां व 108 गिलास अधिक जारी किए गए, जोकि अनुचित था। अतः अधिक जारी किए गए थाली व गिलास सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किए जाएं।

क्र0 सं0	दिनांक	नम व पता जिनको सामग्री जारी की गई	जारी की गई सामग्री थाली+गिलास	सामग्री जो जारी करनी थी थाली+गिलास	अधिक जारी थाली+ गिलास=
1.	28.2.13	श्रीमति सरोज देवी पत्नी विशम्बर दास वी0पी0ओ0	12+12=24	6+6=12	6+6=12

		घणा, जिला कांगड़ा			
2.	10.4.13	श्री धनी राम सुपुत्र श्री ख्यालो राम, गांव जंदरागल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
3.	18.4.13	श्री दियालु राम सुपुत्र लखु राम, गांव टंग नरवाना तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
4.	20.9.13	श्री प्रीतम चन्द गांव बगीयाडा तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
5.	28.10.13	श्रीमति रीता देवी पत्नी करनैल सिंह गांव तंगरोटी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
6.	5.11.13	श्री चुहडू राम गांव अकराना तहसील बडोह, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
7.	8.11.13	श्री चंगडू राम गांव ओमला तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
8.	30.11.13	श्री मैहर चन्द गांव जंदरांगल तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
9.	16.12.13	श्री राम लाल गांव मलमुह तहसील बडोह, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
10.	27.12.13	श्री छोटू राम गांव जसौर तहसील व जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12

11.	31.12.13	श्रीमति लाली देवी गांव डाढ़ तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
12.	14.1.14	श्री चुनी लाल कस्वा नरवाणा तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
13.	18.1.14	श्री सुख राम गांव समेडा तहसील बदोह, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
14.	12.6.14	श्री राज सिंह गांव धीरा, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
15.	22.8.14	श्रीमति निशा कुमारी, गांव सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
16.	6.9.14	श्रीमति सोनिया वार्ड नंबर 9, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
17.	9.9.14	श्रीमति वीना देवी वार्ड नंबर 8, श्यामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
18.	20.11.14	श्री रमेश चन्द गांव जसौर, जिला कांगड़ा	12+12=24	6+6=12	6+6=12
		अधिक जारी थाली व गिलास का जोड़			**108+108=216**

10. नौकायान से सम्बन्धित अवधि 1.3.2014 से 7.8.2015 की ₹179580 की वसूली शेष पाया जाना :–

मन्दिर कार्यालय के पत्र संख्याः चा.ना0भ0/1/2014, दिनांक 4.3.2014 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार ठेकेदार निवासी अमृतसर को कृत्रिक झील में नौकायान का अवधि 1.3.2014 से 7.8.2015 को ठेका ₹439580 पिछली बकाया राशि को जोड़कर पुनः आवंटित किया गया। इस सम्बन्ध में किराये से सम्बन्धित लेजर के पृष्ठ संख्याः 47 की जांच करने पर पाया गया कि ठेकेदार द्वारा उक्त अवधि

की ठेका राशि को समय पर जमा नहीं करवाया गया तथा दिनांक 7.8.2015 को उक्त ठेके से सम्बन्धित ₹179580 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तापूर्वक विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि 1.1.2013 को बकाया ठेका राशि	94000
अवधि 1.3.2014 से 7.8.2015 की मांग	345580
कुल जोड़	**₹439580**
उक्त अवधि में प्राप्त भुगतान	260000
दिनांक 7.8.2015 को बकाया राशि	179580

अतः यह मामला आयुक्त मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि अब बकाया किराया की ₹179580 को दण्ड ब्याज सहित वसूलने हेतु मन्दिर न्यास द्वारा उचित पग उठाए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. स्टॉक रजिस्टर में 495 किलोग्राम चावल कम दर्ज करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि रसीद बुक नं0 786 के अन्तर्गत रसीद संख्याः 19628, दिनांक 12.10.2013 को श्री सुनील राणा गांव टंग द्वारा 5 क्विंटल चावल दान के रूप में मन्दिर न्सास को दिए, परन्तु सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में केवल 5 किलोग्राम चावल ही दर्ज किए गए। इस प्रकार 495 किलोग्राम कम दर्ज किए गए। अतः 495 किलोग्राम चावल वसूली या 495 किलोग्राम चावल के बाजारी मूल्य के बराबर की राशि दोषी से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. स्टॉक रजिस्टर में पुस्तक का शेष शून्य होने पर भी पुस्तक की बिक्री करने बारे :–

पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर संख्याः 22 के पृष्ठ 11 की जांच करने पर पाया गया कि आदर्श कहानियां, जिसका मूल्य ₹10 प्रति किताब था का दिनांक 11.7.2014 को शेष शून्य था, जबकि रसीद बुक नम्बरः 295 के अन्तर्गत रसीद संख्याः 18431, दिनांक 28.7.2014 को व रसीद संख्याः 18466, दिनांक 24.8.2014 को एक–एक उक्त पुस्तक को बिक्री किया गया, जब दिनांक 11.7.2014 को उक्त पुस्तक का शेष शून्य था, तो पुस्तकों की बिक्री किस आधार पर की गई। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में कहीं अधिक पुस्तकें आई थी, जिसका स्टॉक का ईन्द्राज सहीं नहीं हुआ था। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. अनियमित भुगतान ₹26000 :—

मैसर्ज सुनील दत्त शर्मा (रामपुर) शिमला, को नवरात्र मेले के दौरान 30 गृह रक्षकों को शिमला से चामुण्डा व वापसी हेतु एक बस किराये के ₹26000 का भुगतान वाउचर संख्याः 51, माह 8/2013 द्वारा किया गया, जबकि उक्त यात्रा हेतु बस किराया ₹320x30=₹9600x2=₹19200 (आने—जाने) का भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹26000—19200=₹6800 का अधिक भुगतान किया गया। उक्त भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थी। उक्त नियमानुसार ₹3000 से अधिक की खरीद/भुगतान पर या तो निविदाएं आमन्त्रित की जानी थी या क्रय समिति की संस्तुति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, जोकि अनियमित था। अतः ₹26000 के अनियमित व्यय व ₹6800 के अधिक व्यय बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

14. विज्ञापन हेतु ₹2165 का अधिक भुगतान करने बारे :—

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार समाचार पत्रों में टेंडर के विज्ञापन हेतु ₹2165 का भुगतान किया, जब समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है, तो एजेंसी द्वारा 15% छूट दी जाती है, जबकि निम्न विज्ञापन एजेंसी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों पर छूट नहीं दी गई है।

वा0 सं0	मह	स्माचार पत्र का नाम	विज्ञापन का माप	भुगतान दर	15 डिस्काउंट के बाद दर	अधिक भुगतान
56	8/13	जगरण प्रकाशन	80 सेंटी मी0	34.57 (2766)	20.19 (1615)	1151
317	8/13	दिव्य हिमाचल	168 सेंटी मी0	40.24 (6760)	34.20 (5446)	1014
					कुल अधिक भुगतान	**₹2165**

अतः छूट प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की करते हुए ₹2165 की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

15. उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :—

वाउचर संख्याः 97, दिनांक 21.10.2014 द्वारा आयुक्त (मन्दिर) द्वारा ₹100000 की राशि राज्य स्तरीय दशहरा उत्सव के लिए दशहरा कमेटी धर्मशाला को अनुदान के रूप में प्रदान की गई, जबकि इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं

किया गया, जिसके आभाव में जारी की गई उपयोगिता की सत्यता की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः अनुपालना हेतु उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था से प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. **कार्य का नाम** :– **Toilet block at badoi chownk**

एजेंसी :– **M/s Sulbh International social service org.**

माप पुस्तिका :– **38**

वाउचर संख्या :– **57 दिनांक 13.8.2013**

बिल नंबर :– **प्रथम व अन्तिम बिल**

(क) माप पुस्तिका नंबर 38, पृष्ठ 81 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्याः 13 P/L cement concrete 1.2.4 की मात्रा 4.79m^3 के लिए ₹1751.77 की दर से ₹8391 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त मद की सही मात्रा 3.80m^3 बनती है, जिसके लिए ₹6657 भुगतान करना अपेक्षित था; इस प्रकार संविदाकार को ₹1734 का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई ₹1734 को उक्त फर्म के सफाई बिल नं0 102, दिनांक 13.3.2016 द्वारा ऑडिट के दौरान वसूल कर लिए हैं, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

17. **कार्य का नाम** :– **ARMO painting word writting letter etc in temple**

एजेंसी :– **M/s Suresh Kumar**

माप पुस्तिका :– **45**

वाउचर संख्या :– **99 व 100 माह 10/2014**

बिल नंबर :– **प्रथम व अन्तिम बिल**

(क) माप पुस्तिका नंबर 45, पृष्ठ 80 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्याः 2 word writting of figure की मात्रा 4971c.m के लिए ₹2.25 की दर से ₹11184.75 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त मद की सही मात्रा 3800c.m बनती है, जिसके

लिए ₹8550 का भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को ₹2635 का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) माप पुस्तिका नंबर 45, पृष्ठ 80 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्याः 4 painting lines dashing arrows letters etc की मात्रर 49.71m^3 के लिए ₹62 की दर से ₹3082 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त मद की सही मात्रा 24.76m^3 बनती है, जिसके लिए ₹1535 भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को ₹1547 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाने पर उक्त अधिक भुगतान की गई ₹2635+₹1547=₹4182 को रसीद बुक नंबरः 1008 के अन्तर्गत रसीद संख्याः 50171, दिनांक 14.3.2016 द्वारा दोषी से वसूल कर जमा कर दिया गया, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

18. **कार्य का नाम** :— **C/o Shopping mall**

एजेंसी :— **M/s Pankaj Parwan**

माप पुस्तिका :— **46**

वाउचर संख्या :— **14 माह 8/2013**

बिल नंबर :— **प्रथम व अन्तिम बिल**

(क) माप पुस्तिका नंबर 46, पृष्ठ 13 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्याः 115mm थिक Plaster की मात्रा 3192.51m^2 के लिए ₹130 की दर से ₹415026.30 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त मद की सही मात्रा 3186.58m^2 बनती है, जिसके लिए ₹414255 भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को ₹771 का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) माप पुस्तिका नंबर 46, पृष्ठ 15 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्या : 6 distempring with obd of approved brand की मात्रा 3192.59m^2 के लिए ₹45 की दर से ₹143665 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त मद की सही मात्रा 3186. 58m^2 बनती है, जिसके लिए ₹143396 भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को ₹267 का अधिक भुगतान किया गया।

(ग) माप पुस्तिका नंबर 46, पृष्ठ 17 की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संविदाकार को मद संख्या : 13 birla white putty की मात्रा 1823.29m^2 के लिए ₹70 की दर से ₹127630 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त मद की सही मात्रा 1817.43m^2 बनती है, जिसके लिए ₹127220 भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार संविदाकार को ₹410 का अधिक भुगतान किया गया।

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त अधिक भुगतान की ₹771+₹267+₹410=₹1448 को रसीद बुक नंबरः 1008 के अन्तर्गत रसीद संख्याः 50172, दिनांक 14.3.2016 द्वारा दोषी से वसूल कर जमा कर दिया गया, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि के न दोहराई जाए।

19. निविदा में मद का मूल्य न दर्शाने बारे :–

वाउचर संख्याः 62, माह 10/14 की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज रितेश इलेक्ट्रिकल वर्क कांगड़ा से मन्दिर में बिजली के सामान हेतु ₹50470 का सामान निर्माण शाखा द्वारा खरीद गया, जबकि उक्त फर्म की निविदा में निम्नलिखित सामान का मूल्य नहीं दर्शाया गया था, जिसके आभाव में निम्न सामान के भुगतान दरों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जब उक्त फर्म की निविदा में निम्न सामान का मूल्य उक्त फर्म द्वारा नहीं दर्शाया गया था, तो फर्म से सामान खरीदने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस मामले की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	मद का नाम	संख्या	दर	राशि
1.	स्ट्रीट लाइट	10	2290	22900
2.	सीएफएल 65 वाट	10	650	6500
3.	ऐनगल होल्डर	24	30	720

20. निर्माण कार्यों की औचित्य दर (Justification) तैयार न करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि किसी भी निर्माण कार्य की औचित्य दर निर्माण शाखा द्वारा तैयार नहीं की गई है, जिसके अभाव में कार्य लागत की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः औचित्य दर तैयार न करने का औचित्य

स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य की औचित्य दर तैयार करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

21. दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :–

वाउचर संख्याः 56, दिनांक 27.9.2014 द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई को कांगड़ा से ₹29947 की दवाइयां नवरात्रा उत्सव हेतु खरीदी गई, परन्तु दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया, जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22. सहायक मन्दिर अधिकारी को ₹1500 प्रति माह प्रोत्साहन राशि का अनुचित रूप से भुगतान करने बारे :–

मन्दिर न्यास की बैठक दिनांक 3.4.2013 के प्रस्ताव संख्याः 5 व इस सन्दर्भ में आयुक्त मन्दिर के कार्यालय आदेश संख्याः CT/KGR-393-404, दिनांक 6.5.2013 द्वारा सहायक मन्दिर अधिकारी को सार्वजनिक राजपत्रित अवकाश के दिन कार्य करने हेतु ₹1500 प्रति माह प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। उपस्थिति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि उक्त अधिकारी द्वारा सार्वजनिक, राजपत्रित व अन्य अवकाश के दिन मन्दिर कार्यालय में कार्य नहीं किया। अतः प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

23. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि स्टोर/स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) नहीं करवाया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971, खण्ड–1 के नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना में स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

25. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृ0 सं0 : फिन(एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(14)198/99–खण्ड–5–4441–4444 दिनांकः 17.08.2016, शिमला–170009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर चामुण्डा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2. अध्यक्ष मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
3. निदेशक, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, हि0 प्र0 शिमला–9
4. अवर सचिव (भाषा) हि0 प्र0 सरकार, शिमला–02

हस्ता/–

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः ( ) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 12/1998

1.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(ख) 2	अनिर्णीत
4.	पैरा 6(ख) 3	अनिर्णीत
5.	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
6.	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत
7.	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत
8.	पैरा 25(ड.)	अनिर्णीत
9.	पैरा 25(च)	अनिर्णीत
10.	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत
11.	पैरा 45	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000

1.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 13(2)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2001

1.	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
2.	पैरा 17(ख)2	अशंत निर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1.	पैरा 5(क)(1 से 5)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(क)(6)(ए0बी0सी0डी0)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(क)(7 से 8)	अनिर्णीत
4.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(ड.)	अनिर्णीत
6.	पैरा 6(ञ)(1)	अनिर्णीत
7.	पैरा 11(क)(1)	अनिर्णीत
8.	पैरा 11(क)(2)	अनिर्णीत
9.	पैरा 11(क)(3)	अनिर्णीत
10.	पैरा 11(क)(4)	अनिर्णीत
11.	पैरा 12	अनिर्णीत

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2002

1.	पैरा 5(ख)(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(ड.)	अनिर्णीत

4.	पैरा 6	अनिर्णीत
5.	पैरा 7	अनिर्णीत
6.	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा 15	अनिर्णीत
9.	पैरा 33(1)	अनिर्णीत
10.	पैरा 33(2)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2003 से 12/2005

1.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा 13	अनिर्णीत
3.	पैरा 16	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2007

1.	पैरा 10	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत

(ज) अतिरिक्त निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के निरीक्षण प्रतिवेदन जोकि पृष्ठकान संख्याः फिन (एल0)(2)(15)(14)198/99, दिनांक 6.4.2009 द्वारा जारी किया गया में सम्मिलित पैरे :–

1.	पैरा 4 (क)(1)	अनिर्णीत	(अन्तर का मिलन किया जाना शेष है)
2.	पैरा 4 (क)(2)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 4 (क)(3)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2009

1.	पैरा 6 (i)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 7 (i)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7 (ii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7 (iii)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8 (i)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8 (ii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 11	अनिर्णीत
10.	पैरा 12 (i)	अनिर्णीत
11.	पैरा 12 (ii)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 11	अनिर्णीत
3.	पैरा 12	अनिर्णीत
4.	पैरा 16	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2011

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 10 (i)	अनिर्णीत
3.	पैरा 10 (iv)	अनिर्णीत
4.	पैरा 12	अनिर्णीत

5.	पैरा 16	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2010

1.	पैरा 6(ख)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
2.	पैरा 7(ख)(ग)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
3.	पैरा 7(घ)	निर्णीत	(संशोधित पैरा पुनः प्रारूपित)
4.	पैरा 8	अनिर्णीत	
5.	पैरा 9(क)	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)
6.	पैरा 9(ख)	निर्णीत	(कार्यवाही देख ली गई है)
7.	पैरा 10(क से छ)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 11	अंशतः निर्णीत	(₹31631 बिक्री कर की वसूली देख ली है)
9.	पैरा 12	निर्णीत	(पैरा अपडेटेड)
10.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 13(ख)	निर्णीत	

दिनांक 31.12.2012 तक अनिर्णीत पैरों का विवरण :–

प्रारम्भिक शेष :–	78
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे :–	7
अन्तशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन 1.1.2012 से 31.12.2012 तक :–	71